न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवाराम स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 416/2016

1. पांचूराम उर्फ पांच्या पुत्र बल्लू बलदेव जाति गुर्जर निवासी बल्लू की ढ़ाणी तन मैड तहसील विराटनगर जिला जयपुर।

––अपीलांट्––

बनाम

1. भैंरूराम उर्फ भौरा पुत्र बल्लू उर्फ बलदेव दत्तक पुत्र घीसा, जाति गुर्जर, बल्लू की ढ़ाणी, तन मैड, तहसील विराटनगर, जयपुर।
2. भंवर लाल पुत्र महादेव
3. कृष्णा कुमार पुत्र महादेव
4. केशरी पत्नी महादेव

   समस्त जाति गुर्जर, बल्लू की ढ़ाणी, तन मैड, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।
5. राजेश कुमार पुत्र बलदेवराज, जाति अरोड़ा, निवासी मैड, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।
6. कालू पुत्र गंगासहाय
7. काना पुत्र गंगासहाय
8. गोरधन पुत्र छीतर
9. हनुमान पुत्र छीतर

   समस्त जाति धोबी, निवासी मैड, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।
11. तहसीलदार एवं उप पंजीयक, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।
12. पटवारी पटवार हल्का मैड, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।

––––रेस्पोडेंट्स––

उपस्थित अधिवक्तागणः–

1– बी.एल. शर्मा, अपीलांट की ओर से।

2– रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांक :– 31–10–2017

1– यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 03–06–2016 बअदालत उपखण्ड अधिकारी विराटनगर जिला जयपुर द्वारा वाद संख्या 48/2010 बउनवानी भैरूंराम बनाम पांचूराम वगैरा में पारित की गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

2– यह कि संक्षिप्त में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत् तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा का यह कहते हुए प्रस्तुत किया कि खाता संख्या 75 की जमाबन्दी संवत 2062 से 2065 ग्राम मैड के खसरा नबंर 840 लगायत 842, 2202, 2337, 2338, 2341, 2350, 2358, 2374 लगायत 2386, 2394, 2418 किता 25 कुल रकबा 7.54 हैक्टैयर वाके ग्राम मैड तहसील विराटनगर की खातेदार केशरी बेवा महादेव, भंवरलाल, कृष्ण कुमार पि. महादेव हिस्स 1/3 पांच्या पुत्र बल्लू हिस्सा 1/3 भैरां पुत्र घीसा हिस्सा 1/3 जाति गुर्जर साकिन देह के नाम दर्ज है। इसी प्रकार खाता संख्या 682 की जमाबन्दी संवत 2062 से 6065 में दर्ज भूमि खसरा नबंर 70 से 73 किता 4 कुल रकबा 2.81 हैक्टैयर की खातेदारी राजेश कुमार पुत्र बलदेवराज, जाति अरोडा हिस्सा 1/6 भैररूराम, पांचूराम पि. बलदेव हिस्स 1/3 हिस्सा जाति गुर्जर, कालू, काना पि. गंगासहाय, गोवर्धन, हनुमान पि. छीतर, जाति धोबी हिस्सा 1/2 के नाम दर्ज है। नकल जमाबन्दी खाता संख्या 75 संवत 2062 से 2065 एवं नकल जमाबन्दी खाता संख्या 381 संवत 2058 से 2061 व खाता संख्या 382 संवत 2062 से 2065 सलंग्न वाद पत्र पेश है। भूमि मुन्दर्जा जिमन नंबर 1 अर्जी दावा में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 की पैतृक एवं संयुक्त कब्जे की भूमि है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 एक ही बुजुर्ग श्योजी के पुत्र है। जिसका विधिक रूप से विभाजन नहीं हुआ है। इसलिए उक्त भूमि की विभाजन किया जायें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 376–2016 द्वारा वादी का वाद विभाजन अंतिम डिक्री किया गया है जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3– अपील प्रस्तुत कर अपीलार्थी द्वारा कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय विधि, तथ्यों एवं प्राकृतिक निर्णय के प्रतिकूल होने की वजह से निरस्त योग्य है। पत्रावली दिनांक 7–4–2016 को इंतजार कुरेजात रिपोर्ट के लिए नियत की जाकर आगामी पेशी दिनांक 12–5–2016 नियत की गई। दिनांक 12–5–2016 को अपीलांट को आगामी पेशी तारीख पेशी नहीं बताई तथा रीडर ने कहा कि राजस्व कैंप चल रहे हैं, कैंप के पश्चात् पेशी नियत की जायेगी परन्तु एकतरफा ही पत्रावली को राजस्व कैंप मैड़ में दिनांक 3–6–2016 को नियत की जाकर अंतिम निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई, जिसकी जानकारी अपीलांट को कतई नहीं रही। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की कुरेजात पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

आपत्ति होने के पश्चात् मनमाना निर्णय पारित किया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पर भी कोई निर्णय पारित नहीं किया है। प्रकरण में तहसीलदार द्वारा न तो मौके पर जाकर सभी पक्षकारों की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार किया है, न ही अपीलांट को कुरेजात रिपोर्ट तैयार करने की कोई सूचना दी। भू–अभिलेख निरीक्षक व पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। प्रकरण में विभाजन के राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियत 18 से 21 की पालना नहीं की गई है। प्रश्नगत भूमि के संबंध में अन्य वाद बद्री बनाम श्योकरण न्यायालय के समक्ष विचाराधीन था जिसके संबंध में कोई निर्णय पारित नहीं किया जाकर यह निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 4712–2014 को तहसीलदार विराटनगर को स्वयं मौके पर जाकर पुनः कुरेजात रिपोर्ट तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया था इसके पश्चात् दिनांक 8712–2014 को पुन पत्र जारी किया गया तत्पश्चात् दिनांक 5–2–2016 द्वारा पंचम स्मरण पत्र प्रेषित किया गया। दिनांक 14–3–2016 द्वारा छठा स्मरण पत्र भी जारी किया गया। दिनांक 7–4–2016 को प्रकरण में पुनः कुरेजात रिपोर्ट प्राप्त होना शेष था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट को लाभ पहुंचाने की गर्ज से प्रकरण में दिनांक 3–6–2016 को अंतिम निर्णय जारी कर दिया गया जो गलत है। अपीलांट का खसरा नंबर 840 के सपूंर्ण रकबे पर पूरा कब्जा काश्त है तथा खसरा नबंर 2394, 2383 पश्चिमी हिस्से तथा खसरा नबंर 84, 85, 86, व 2358 के संपूर्ण हिस्से पर तथा खसरा नबंर 2418 के 1/3 हिस्से पर कब्जा काश्त है। खसरा नबंर 70 में भैंरू ने पांच्या को शामलात रखा है जबकि पांच्या अपीलांट का उत्तरी तरफ व भैंरू का दक्षिणी तरफ कब्जा काश्त है। जबकि विभाजन में हिस्से संयुक्त रखा गया है तथा खसरा नबंर 79 में अपीलांट का पुख्ता मकान कदीम से बना हुआ है जिसमें वह खसरा नबंर 2381 के रास्ते से आता जाता है। खसरा नबंर 2381 अकेले केशरी, महादेव, भंवर, कृष्ण के तन्हा कब्जें में बता दिया जिससे अपीलांट के मकानों में आने–जाने का रास्ता ही बन्द हो गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की कुरेजात रिपोर्ट आपत्ति पर पुनः कुरेजात रिपोर्ट नहीं मंगवा कर अनुचित व मनमाना आदेश पारित किया गया है तथा नैसर्गिक न्याय के सिन्द्धातों की अनदेखी की गई है इसलिए अपीलाधीन निर्णय निरस्त योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

4– अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को नोटिस जारी किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से श्री मुकेश मेहरा तथा रेस्पोडेंट संख्या 2 लगायत 4 की ओर से श्री बालकृष्ण शर्मा एडवोकेट द्वारा उपस्थिति दी गई परन्तु बरवक्त बहस वे अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त कर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

5– अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया तथा कथन किया गया कि अपीलाधीन निर्णय उनके द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का निस्तारण किये बगैर विभाजन नियमों की अनदेखी कर दिया। न्यायालय ने स्वयं द्वारा चाहे गये पुनः कुरेजात प्रस्ताव प्राप्त नहीं किया जाकर मात्र वादी को लाभ पहुचाने की दृष्टि से अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अपीलाधीन निर्णय में मौके की कब्जा काश्त को नजरअंदाज किया गया तथा अपीलांट को रास्ता भी नहीं दिया गया है। इसलिए अपीलधीन निर्णय निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को प्रति–प्रेषित किया जावे।

6– अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कुरेजात प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्रतिवादी अपीलांट की प्रारंभिक आपत्ति पर सुना गया तथा दिनांक 15–5–2013 को तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिया गया कि वे स्वयं मौके पर उपस्थित होवें तथा दोनों पक्षों की उपस्थिति में कुरेजात रिपोर्ट तैयार करावें, साथ ही दोनों पक्षकारों को दिनांक 5–6–2013 को मौके पर उपस्थित रहने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार द्वारा दिनांक 5–6–2013 को कोई कुरेजात प्रस्ताव तैयार नहीं किये गये। इसके पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार विराटनगर को बार–बार कुरेजात प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु लिखा गया है। दिनांक 31–10–2014 को तहसील विराटनगर से पत्र प्राप्त होने पर दिनांक 4–12–2014 को उभय पक्ष को सुना जाकर तहसीलदार को पुनः मौके पर स्वयं जाकर कुरेजात प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया है। इसके पश्चात् दिनांक 7–4–2016 तक पत्रावली कुरेजात प्रस्ताव के इंतजार में चलती रही है। दिनांक 7–4–2016 को आगामी पेशी 12–5–2016 को नियत की गई। तत्पश्चात् पत्रावली दिनांक 3–6–2016 को कैंप मैड़ में पेशी पर ली गई है।

12–5–2016 की कोई आदेशिका पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 3–6–2016 में उल्लेखित किया गया है कि " पत्रावली आज राजस्व कैंप मैड़ में पेशी में ली गई। वादी उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 उपस्थित। प्रतिवादी पांचु ने अपने हिस्से अनुसार विभाजन करने का अनुरोध किया। पटवारी हल्का से वस्तुस्थिति बाबत् उभय पक्षकार के समस्त पूछताछ की गई। वादी व पटवारी हल्का द्वारा 2–4–2013 की कुरेजात रिपोर्ट के अनुसार ही मौका स्थिति होने बाबत् अवगत करवाया। मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट वाद डिक्री किया जाता है।" अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उपर्युक्त निर्णय पटवारी हल्का के कहे अनुसार दिनांक 2–4–2013 की कुरेजात रिपोर्ट अनुसार ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जबकि प्रकरण में तहसीलदार को स्वयं मौके पर जाकर पुनः कुरेजात रिपोर्ट उभय पक्षों की मौजूदगी में तैयार करने बाबत् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनेक बार निर्देशित किया गया है। दिनांक 2–4–2013 के प्रस्तावों पर अपीलांट प्रतिवादी द्वारा आपत्ति की गई थी। जिसके फलस्वरूप पुनः कुरेजात रिपोर्ट चाहे गये थे परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो पुनः प्रस्ताव प्राप्त किये हैं तथा न ही अपीलांट की आपत्ति के बाबत् कोई निर्णय पारित किया गया है। दिनांक 3–6–2016 को अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अनुसार वादी भैरूं एवं हल्का पटवारी ही उपस्थित है। अपीलांट प्रतिवादी के कोई हस्ताक्षर नहीं है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये जाने में तथ्यों एवं विधि की सारभूत त्रुटि कारित की गई है तथा उक्त निर्णय बहाल रखे जाने योग्य नहीं है एवं अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य है।

7– अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 3–6–2016 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार द्वारा उभय पक्षों की मौजूदगी में पुनः कुरेजात प्रस्ताव तैयार करवाये जाकर तथा उभय पक्ष को सुना जाकर गुणावगुण पर पुनः निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

8– निर्णय आज दिनांक 31–10–2017 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी

जयपुर